भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

1623. श्री अजीत जोगी :

श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या "अग्नि" और अन्य प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान और चीन द्वारा तैनात किए गए प्रक्षेपास्त्रों की तुलना में अधिक कारगर साबित होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : "अग्नि" केवल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रक्षेपास्त्र है जो इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सुविज्ञता और पुनप्रवेक्ष प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रमाण है । देश में ही विकसित किए जा रहे "पृथ्वी", "आकाश", "त्रिशूल" तथा "नाग" प्रक्षेपास्त्र किसी अन्य देश के इस श्रेणी के इस समय के प्रक्षेपास्त्रों के मुकाबले के होंगे ।

भोपाल में दूरदर्शन केन्द्र का प्रारंभ न किया जाना

1624. श्री अजीत जोगी :

श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सम्पूर्ण तैयारी हो जाने के बाद भी, केवल शिथिलता के कारण भोपाल का दूरदर्शन केन्द्र प्रारम्भ नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ;

(ग) इसका कार्य प्रारम्भ करते समय विभाग की इसे कितने समय में चालू कर देने की योजना थी; और इसके प्रारम्भ किए जाने की लागत और समय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या उपरोक्त केन्द्र के लिए कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है और वे वहां तैनात भी किये जा चुके हैं परन्तु वे बेकार बैठे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :(क) से (ग) शुरू में भोपाल दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र की स्थापना की परियोजना को जून 1990 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था । तथापि परियोजना स्थल पर आने वाली कई कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका । परिणामस्वरूप इस पर लगभग 18 महीने का अधिक समय लग गया । परियोजना लागत भी बढ़ गई । लेकिन यह समूची वृद्धि सीधे अधिक समय लगने से संबंधित नहीं है ।

वर्तमान संकेतों के अनुसार अब इस परियोजना को चालू वर्ष के अंत तक सेवा के लिये शुरू किये जाने का कार्यक्रम है ।

(घ) केन्द्र के लिए पूरे स्टाफ की मंजूरी दे दी गई है और कुछ पद भी भर लिये गये हैं । जो कार्मिक ड्यूटी पर हाजिर हो गए हैं, उन्हें प्रारम्भिक कार्य पर लगा दिया गया है ।

गर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास

1625. श्री अजीत जोगी :

कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यय किए जाने का उपबंध करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र इस समय इस प्रयोजन के लिए कितना प्रतिशत व्यय कर रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा

अनुसंधान तथा विकास के लिए तथ उपबंध को अधिकांशतः प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, पब्लिक सेक्टर उद्योगों, विश्वविद्यालयों और इसी तरह के सरकारी निधिपन्द्ध संस्थानों के अनुसंधान व विकास यूनिटों के माध्यम से पूरा किया जाता है। तथापि, प्राइवेट सेक्टर को अनुसंधान तथा विकास सुविधायें स्थापित करने और टैक्स रियायतों और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहनों जैसे अनेक उपायों के माध्यम से कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में किया गया कुल अनुसंधान व विकास व्यय 14,000 करोड़ रुपये था। देश में कुल अनसंधान व विकास व्यय का लगभग 20% उद्योग द्वारा व्यय किया जाता है, इसमें से लगभग 12% प्राइवेट सेक्टर द्वारा व्यय किया जाता है।

उर्वरक और रसायन संयंत्रों के निदेशक बोर्डों का गठन किया जाना

1626. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आशिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक और रसायन संयंत्रों के निदेशक बोर्डों के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार निदेशक बोर्ड में किसानों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों आदि के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करके सरकारी सदस्यों की संख्या में उसी अनुपात में कमी करने पर विचार करेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंता मोहन) : (क) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक और रसायन उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में सरकारी, गैर-सरकारी तथा कार्यवाहक निर्देशकों की संख्या विवरण में दी गई है

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्रमांक	उपक्रम का नाम	बोर्ड में सरकारी सदस्यों की संख्या	बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या	कार्यवाही निदेशकों की संख्या
1	2	3	4	5
उर्वरक :				
1.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई)	4	—	1
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन (एच एफ सी)	2	5	1
3.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर सी एफ)	4	1	2
4.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० (एफ ए सी टी)	3	—	1